

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रमुख विद्वाही नैवल व्यक्तार्थि राष्ट्र डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 730 दिनांक 20/10/2020

प्रार्थी महेन्द्र सिंह 510 श्री मनाहर सिंह परिहार

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6199/- पंजी

जरिये रसीद संख्या 2062/9627 9628

दिनांक 20/10/2020 को जमा करा दी है ।

P-110 = 16-बी-एस-25  
पोपसकी शडकिंग बोर्ड

20/10/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

व्यवसायिक  
राष्ट्र डिजाइन  
अनुसार

22/10/2020  
9351388856